

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2010/आषाढ़ 10, 1932	[रा.रा.क्षे. दि. सं. 78
No. 101]	DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2010/ASADHA 10, 1932	[N.C.T.D. No. 78

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2010

सं. फा. 12/01/2010/प्र.सु./6197-6356/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार यथासंशोधित दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 04/14/94-प्र.सु. के खंड-2 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्रीमती मीनाक्षी दत्ता घोष, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल की अवधि को दिनांक 31-10-2010 तक बढ़ाते हैं।

श्रीमती मीनाक्षी दत्ता घोष, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, जन शिकायत निवारण आयोग के रूप में दिनांक 31-10-2010 तक अपने पद पर बनी रहेंगी।

अरविन्द रे, प्रधान सचिव.

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st July, 2010

No. F. 12/01/2010/AR/6197-6356/C.—In pursuance of Clause 2 of Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 of the Government of National Capital Territory of Delhi, as amended *vide* Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of Smt. Meenakshi Datta Ghosh, IAS (Retd.) as Chairman, Public Grievance Commission, Government of National Capital Territory of Delhi up to 31-10-2010.

Smt. Meenakshi Datta Ghosh shall hold office as Chairperson, Public Grievances Commission up to 31-10-2010.

ARVIND RAY, Principal Secy.

गृह विभाग-III

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2010

सं. फा. 7 (21)/2010/गृह-III/944.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू.11011/2/74-यू टी एल(1) के साथ पठित दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (2009 का दिल्ली अधिनियम 2) की धारा (1) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, 1 जुलाई, 2010 को दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (2009 का दिल्ली अधिनियम 2) को समस्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्रवृत्त करने की तिथि नियत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. एम. जैन, उप-सचिव

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st July, 2010

No. F. 7/(21)/2010/H-III/944.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 1 of the Delhi Fire Service Act, 2007 (Delhi Act 2 of 2009) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated 20th March, 1974, the Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint 1st July, 2010 as the date to enforce the Delhi Fire Service Act, 2007 (Delhi Act 2 of 2009) in the whole of the Union Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
B. M. Jain, Dy. Secy.

राजस्व विभाग-

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2010

सं. फा. 1(36)/पंजी. शाखा/मुख्या./मंडली.आयु./2010/353
1950 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 7 सितम्बर, 1966 की आ
यथासंशोधित राज्य मंत्रालय अधिसूचना संख्या 104-जे दिनांक 24 अगस्त, 19
पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 तथा 79 द्वारा प्रदत्त
उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली में लागू पंजीकरण शुल्क की उस तालिका में सं
अधिसूचित की गई थी तथा इस अधिसूचना के अनुलग्नक-1 में यथाविनिर्दिष्ट उ
की पूर्ति के लिए दिल्ली में भूमि तथा अचल/चल संपत्ति के क्रय से संबंधित विभि
विविध शुल्कों को अधिसूचित करते हैं।

उपरोक्त दरों पर, दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजीकरण के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत लेन-देन पर क्षेत्राधिकार होते हुए उक्त अधिनियम के
उपबंधों के अधीन प्रलेखों के पंजीकरण के समय सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।

ये दरें दिल्ली राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगी।

पंजीकरण शुल्क एवं विविध शुल्क तालिका

प्रलेखों के पंजीकरण हेतु

विवरण	आरोप्य शुल्क
1. बही। में, प्रलेखों का पंजीकरण जैसे अचल संपत्ति से संबंधित हस्तान्तरण विलेख/विक्रय विलेख, उपहार विलेख/विभाजन विलेख आदि	
(क) सभी प्रकार के अनिवार्य रूप से पंजीकृत प्रलेखों के लिये (अचल संपत्ति के पट्टों के अतिरिक्त)	सर्किल दर के अनुसार घोषित प्रतिफल राशि या मूल्य जो भी अधिक हो का एक प्रतिशत, अधिकतम 50,000 रुपये

विवरण	आरोप्य शुल्क
(ख) यदि मूल्य या प्रतिफल राशि सभी प्रकार से प्रकट न हो	प्रत्येक प्रलेख के लिये 1000 रुपये
(ग) अचल संपत्ति के पट्टे के लिये	प्रत्येक प्रलेख के लिये 1000 रुपये
2. वही III में अर्थात् वसीयत रजिस्टर में और अंगीकार करने वाले प्राधिकरण	प्रत्येक प्रलेख के लिये 500 रुपये
3. वही IV में सभी प्रकार के अन्य प्रलेखों के विविध पंजीकरण	प्रत्येक प्रलेख के लिये 1000 रुपये

टीप :-

- (i) विभाजन विलेखों पर भुगतान किए जाने वाले पंजीकरण शुल्क भाग या भागों के मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाएगा जिस पर भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1क के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

सोदाहरण : मान लीजिए किसी संपत्ति का कुल मूल्य एक लाख रुपये है जो चार भागों अर्थात् क, ख, ग एवं घ में विभाजित की जा रही है। चार भागों के मूल्य क्रमशः चालीस हजार, तीस हजार, बीस हजार और दस हजार रुपये हैं। पंजीकरण शुल्क विशालतम विभाजित भाग अर्थात् चालीस हजार के निकालने के उपरांत शेष राशि पर वसूल किया जाएगा। इस मामले में पंजीकरण शुल्क साठ हजार रुपये का एक प्रतिशत अर्थात् 600 रुपये।

- (ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट भारत में किसी विदेशी या कामनवेल्थ डिप्लोमेटिक मिशन के लिये या उसकी तरफ से निष्पादित किसी प्रलेख पर कोई शुल्क आरोप्य नहीं होगा।
- (iii) अस्थाई रूप से प्रचलित सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के अन्तर्गत अस्थाई रूप से पंजीकृत या पंजीकृत मान ली गई किसी समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किसी प्रलेख पर या किसी अधिकारी या ऐसी समिति के किसी सदस्य तथा समिति के कारोबार से संबंधित निष्पादित प्रलेखों पर किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क आरोप्य नहीं होगा, यदि मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई है, जिसके साथ ऐसा कोई प्रलेख आरोप्य है।
- (iv) सिविल या सेना में तैनात सरकार के किसी अधिकारी द्वारा अपने प्रयोग के लिये किसी आवासीय भवन के निर्माण या खरीदने के प्रयोजन के लिए सरकार से बंधकदाता द्वारा प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान प्राप्ति करने के लिये निष्पादित किसी रहन/बंधक पर किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क आरोप्य नहीं होगा।

प्रभार्य विविध शुल्क

क्र. सं.	मद	आरोप्य शुल्क
1	2	3
1.	पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 72 के अंतर्गत अपील या धारा 73 के अन्तर्गत किसी आवेदन तथा धारा 74 के अन्तर्गत जांच, निष्पादन इत्यादि के तथ्य के संबंध में किसी पंजीकरण अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के लिये, जब कोई प्रलेख या वसीयत या प्राधिकार पत्र स्वीकार किया गया है जो कर्ताओं या वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत प्रस्तुत किया गया है।	100 रुपये
2.	पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 25, धारा 34 के अंतर्गत या धारा 36 के अन्तर्गत दायर आवेदन-पत्र के लिये।	100 रुपये
3.	किसी सरकारी मामले या पंजीकरण कार्य या कार्रवाई से संबंधित किसी पंजीकरण अधिकारी के समक्ष दायर प्रत्येक आवेदन के लिये।	100 रुपये
4.	प्रतिवर्ष प्रति प्रलेख की तलाशी के लिये या निरीक्षण के लिये : धारा 57 के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये या तलाशी के लिये।	100 रुपये
5.	पंजीकरण से पूर्व या बाद में प्रविष्टियों के या प्रलेखों के कारणों की प्रतियां बनाने या प्रदान करने के लिये।	10 रुपये प्रति पृष्ठ की दर
6.	अधिकार-पत्र जारी करने हेतु एवं निजी आवासों में उपस्थित होने के लिये (1) जब कोई संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो जैसे रुग्णता या अशक्तता का या जब जांच किए जाने वाला व्यक्ति जेल में हो (2) अन्य सभी मामलों में	500 रुपये 200 रुपये

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7. अनुवाद जमा करने के लिये | 50 रुपये |
| 8. धारा 42 के अंतर्गत वसीयत जमा करने, धारा 44 के अंतर्गत वसीयत वापिस लेने तथा धारा 45 के अंतर्गत सोलबंद वसीयत खोलने के लिए | 100 रुपये प्रत्येक |
| 9. धारा 33 के अंतर्गत मुख्तारनामा को प्रमाणित करने के लिए | 1000 रुपये |
| 10. पंजीकरण के पश्चात् या पंजीकरण अस्वीकृत किए जाने के पश्चात् दावा न किये जाने वाले दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु : | प्रति सप्ताह 50 रुपये जो एक दस्तावेज के मामले में अधिकतम 500 रुपये होगा । |

पंजीकृत दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीकरण अस्वीकृत किया गया है उक्त पंजीकरण या अस्वीकृति के लिए सप्ताह पश्चात् दस्तावेजों की वापसी के लिए आवेदन किया जात है ।

टीप :

- (क) सरकारी अधिकारी जो रजिस्टर की जाँच करना चाहते हैं अथवा सद्भावना से जनता के उद्देश्यों के लिये रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रतियाँ लेना चाहते हैं उन्हें जिले के पंजीयक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अपेक्षित सूचना पूरी तरह सरकार के हित में है, दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र पर कम संख्या 4 एवं 5 के अधीन शुल्कों के भुगतान से छूट होगी ।
- (ख) नक्शे की प्रति तैयार करने तथा भू-संपत्ति अथवा मकानों के मापचित्र इत्यादि के लिए शुल्क जैसे अनुपूरक पुस्तिका 1 में प्रस्तुत है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा ।
- (ग) दस्तावेज की प्रति देने के लिए मद III के अधीन आवेदन में दावा करने वाले तथा निष्पादित करने वाले पक्षों का नाम तथा दस्तावेज के स्वरूप एवं तिथि का उल्लेख होगा । यदि आवेदन दस्तावेज के पंजीकरण के पश्चात् किया गया हो तो आवेदन में इसके पंजीकरण की तारीख, खंड की क्रम संख्या तथा उन पृष्ठों की संख्या जिसमें यह पंजीकृत था, का भी उल्लेख होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

राजेश मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st July, 2010

No. F. 1(36)/Regn. Br./HQ/Div. Com./2010/353.—In exercise of the powers conferred by Sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) as in force in the National Capital Territory of Delhi read with Ministry of States Notification No. 104-J dated the 24th August, 1950 as modified by the States Ministry's Notification No. 124-J dated the

20th September, 1950 and Ministry of Home Affairs, Government of India Notification No. S.O. 2709 (No. F. 41/2/66-Delhi), dated the 7th September, 1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby revises the registration fee Table applicable in the National Capital Territory of Delhi which was notified by the then Delhi Administration on June 27, 1964, and notifies the registration fees and miscellaneous fee chargeable at the time of registration of various documents pertaining to sale of lands and immovable/movable properties in the National Capital Territory of Delhi for the purpose and intent of the said Act and the rules made thereunder, as specified in the Table below to this Notification.

The above rates shall be taken into consideration by all the Registering Authorities at the time of registration of instruments under the provisions of the said Act, having jurisdiction on the transaction placed before them for registration.

These rates shall come into force from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette.

The Table
for Registration Fee and Miscellaneous Fee
For Registration of Documents

Description	Fee Leviable
1. In Book I, the register of documents such as conveyance deed/sale deed, gift deed, partition deed, etc. relating to immovable property :	
(a) For all compulsorily registered documents (other than leases of immovable property)	1 per cent of the consideration amount set forth or value as per circle rate whichever is higher subject to maximum of Rupees 50,000.
(b) If the value or consideration be not at all expressed	Rupees 1000 for each instrument.
(c) For lease of immovable property	Rupees 1000 for each instrument.
2. In Book III i.e. Register of Wills and Authorities to adopt	Rupees 500 for each instrument.
3. In Book IV i.e. Miscellaneous registration of all other documents	Rupees 1000 for each instrument.

Note.—

- (i) The Registration fee to be paid on partition deeds should be calculated on the value of the share or shares on which stamp duty has been assessed under Article 45 of Schedule 1A to the Indian Stamp Act, 1899.

Illustration : Suppose the total value of the property is Rupees One lakh which is being partitioned into four portions i.e. A, B, C, D. The values of all the four portions are forty thousand, thirty thousand, twenty thousand and ten thousand respectively. The registration fee shall be charged on the remaining amount after excluding the largest partition portion i.e. forty thousand. In this case registration fee shall be one per cent of Rupees sixty thousand i.e. Rupees 600.

- (ii) No fees shall be leviable on any instrument executed for or on behalf of a foreign or Commonwealth Diplomatic Mission in India, specified in this behalf by the Administrator of National Capital Territory of Delhi.
- (iii) No registration fee shall be levied upon an instrument executed by or on behalf of any society for the time being registered or deemed to be registered under any law relating to Co-operative Societies for the time being in force or instruments executed by any officer or member of any such society and relating to the business of the Society, if the stamp duty with which such an instrument is chargeable has been remitted.
- (iv) No registration fee shall be leviable upon a mortgage executed by an officer of Government in civil or military employed for securing the repayment of an advance received by the mortgager from the Government for the purpose of constructing or purchasing a dwelling house for his own use.

Miscellaneous fee chargeable

Sl.No.	Item	Fee chargeable
(1)	(2)	(3)
1.	For an appeal under Section 72, or an application under Section 73 and enquiry under Section 74 of the Registration Act, 1908, or for an enquiry made by a Registering Officer about the fact of execution etc. when any document, will or authority to adopt, is presented after the death of the executants or the testator.	Rupees 100

(1)	(2)	(3)
2.	For an application filed under Section 25, Section 34 or under Section 36 of the Registration Act, 1908.	Rupees 100.
3.	For every application filed before a Registering Officer relating to any official matter or registration business or proceedings.	Rupees 100
4.	For inspection or searches by Registering Officer under Section 57 : Search for, or inspection of per document per year.	Rupees 100
5.	For making or granting copies of reasons for entries or of documents before or after registration.	Rupees 10 per page
6.	For the issue of commissions and for attending at private residences :	
	(1) When a satisfactory certificate is produced as to sickness or infirmity or when the person to be examined is in jail.	Rupees 500
	(2) In all other cases.	Rupees 200
		Note. —In addition to the above fees, a travelling allowance is to be levied Rupees 10 per kilometer of distance from office to visiting place to and fro. In the case of persons appointed to execute a commission under Section 33 or Section 38 of the Registration Act, 1908, same rate shall apply. The persons on whose behalf the journey referred to in Para 19 of the Registration Manual, are performed shall pay to the Government such sum, as may be necessary to cover the travelling cost of the Registering Officer or any person appointed to execute the commission.
7.	For filing translations.	Rupees 50
8.	For deposit of WILL under Section 42, withdrawal of WILL under Section 44 and opening of sealed WILL under Section 45.	Rupees 100 each
9.	For authentication of a Power of Attorney under Section 33.	Rupees 1000
10.	For the safe custody of documents remaining unclaimed after registration or after registration is refused : When application for return of registered document or of a document whose registration has been refused is made after one week from the date of such registration or refusal.	Rupees 50 per week subject to maximum of Rupees 500 in the case of single document.

Note.—

- Government officers who may want to search the register or take copies of entries in the register for bona fide public purposes will be exempted from payment of the fees under serial Nos. 4 and 5 on a certificate being granted by the Registrar of the district that information is required solely in the interest of Government.
- The fees for copying maps and plans of estates or houses etc., such as are filed in supplementary Book 1 shall be determined by the Head of the office.
- An application under Article III for grant of a copy of a document shall show the names of the claiming and executing parties and the nature and date of the document. In case the application is made after the registration of the document, the application shall also show the date of its registration, the serial number of Volume, and the numbers of pages on which it was registered.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJESH MISRA, Special Inspector General (Registration)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 1 जुलाई, 2010

फा. सं. 2(126)/सी.बी.पी.जी.ई.सी.जे./2010/स.शा./1031.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् चौधरी ब्रह्म प्रकाश सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, दिल्ली सरकार, जाफरपुर में (1) प्रोफेसर तकनीकी (तकनीकी/गैर तकनीकी), (2) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) तथा (3) व्याख्याता (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति तथा शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्नक अनुसूची में नियम बनाते हैं।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है ?	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रोफेसर (तकनीकी/ गैर तकनीकी)	05* (2010) तकनीकी-5 *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय	16,400-450-22,400 रु.	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंदमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं				क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(8)				(9)	(10)	
अनिवार्य (तकनीकी)						
(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के साथ पीएचडी या समकक्ष				लागू नहीं	एक वर्ष सीधी भर्ती वालों के लिये	

(8)

- (2) अध्यापन/उद्योग/शोधकार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 5 वर्ष सहायक प्रोफेसर या समकक्ष स्तर का अनुभव होना चाहिए, या

उद्योग/व्यवसाय से प्रत्याशी :

उद्योग/व्यवसाय के प्रत्याशी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री तथा ऐसा व्यवसायिक कार्य जो महत्वपूर्ण हो और जिसे पी.एच.डी. डिग्री के समान माना जा सके तथा दस वर्ष के औद्योगिक/व्यवसायिक अनुभव जिसमें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव वरिष्ठ स्तर पर जो सहायक प्रोफेसर के तुलनीय हो, वाले भी पात्र होंगे।

टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप-3 : यदि बी.ई./बी.टेक एमई/एमटैक/समकक्ष डिग्री में श्रेणी/डिविजन प्रदान नहीं की गई है। न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविजन के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा तथा 10 के पैमाने में न्यूनतम सीजीपीए 6.75 होगा।

ग्रेड प्वाइंट अंकों का प्रतिशत

6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

टीप-4 : कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के बदले में उपयुक्त शाखा में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ स्वीकार्य होगी।

अनिवार्य (गैर-तकनीकी)

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष सी.जी.पी.ए. सहित अच्छा शैक्षणिक इतिहास तथा मानवीकी तथा विज्ञान की समुचित शाखा में पी.एच.डी. डिग्री।
- (2) दस वर्ष का अनुभव जिसमें पांच वर्ष का वरिष्ठ स्तर का ऐसा अनुभव हो जो स्नातकोत्तर अध्यापन में सहायक प्रोफेसर के तुलनीय हो तथा/या विश्वविद्यालय/राष्ट्र स्तर के संस्थान में शोध कार्य का अनुभव जिसमें डॉ. स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन का अनुभव भी शामिल है।

नोट-1 : यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा।

नोट-2 : विषय/विधा के लिए सटीक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय सूचित की जाएगी।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11)

(12)

सीधी भर्ती

लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

(13)	(14)
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) :	
1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष
2. विभाग में प्रधान सचिव/संबंधित सचिव	—सदस्य
3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/ गैर तकनीकी)	13* (2010) तकनीकी-11 गैर तकनीकी-2 *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा	12,000-18,300 रु.	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्पा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

(8)	(9)	(10)
(क)(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की सुसंगत विधा में प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री या प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री सहित पीएचडी या समकक्ष	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष
(2) प्राध्यापक स्तर पर अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव या समकक्ष, या		
(ख)(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में मास्टर स्तर की प्रथम श्रेणी की डिग्री या समकक्ष		
(2) प्राध्यापक स्तर पर अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का पांच वर्ष का अनुभव या समकक्ष (ऐसे प्रत्याशियों को सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति की तिथि से सात वर्ष की अवधि में पी.एच.डी. की डिग्री लेनी होगी)		

या

उद्योग और व्यवसाय से प्रत्याशी :

उद्योग/व्यवसाय से प्रत्याशी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी की डिग्री या समकक्ष तथा ऐसा व्यवसायिक कार्य जो महत्वपूर्ण हो और जिसे पी.एच.डी. डिग्री के समान माना जा सके

(8)

तथा पांच वर्ष के औद्योगिक/व्यवसायिक अनुभव वाले भी पात्र होंगे।

टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप-3 : यदि बोर्ड/बी.टैक एमई/एमटैक/समकक्ष डिग्री में श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीं की गई है। न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा तथा 10 के पैमाने में न्यूनतम सीजीपीए 6.75 होगा।

ग्रेड प्वाइंट अंकों का प्रतिशत

6.25 55

6.75 60

7.25 65

7.75 70

8.25 75

टीप-4 : कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के बदले में उपयुक्त शाखा में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ स्वीकार्य होगी।

अनिवार्य (गैर-तकनीकी)

(1) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष सी.जी.पी.ए. सहित अच्छा शैक्षणिक इतिहास तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. डिग्री या समकक्ष; या

(2) अध्यापन/या शोध कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें डिग्री प्राप्त करने के लिये व्यतीत अवधि शामिल नहीं है और प्रकाशन की गुणवत्ता तथा शिक्षण के नये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या संबंधी नवीन अभिकल्पना में योगदान के साक्ष्य के तौर पर छात्रवृत्ति के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया हो।

नोट-1 : यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा।

नोट-2 : विषय/विधा के लिए सटीक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय सूचित की जाएगी।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

(11)

(12)

सीधी भर्ती

लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

(13)	(14)
स्थायीकरण के लिये 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।
1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष	
2. प्रधान सचिव/संबंधित सचिव —सदस्य	
3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. व्याख्याता (लेक्चरर) (तकनीकी/गैर-तकनीकी)	24* (2010) तकनीकी-20 गैर-तकनीकी-4 *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर ।	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा	8,000-13,500 रु.	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय । आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्पा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की सुसंगत विधा में प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री/प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री या समकक्ष ।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिये एक वर्ष
टीप-1 : अन्यथा योग्यताएं उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।		
टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।		
टीप-3 : यदि बोर्ड/बी.टैक एमई/एम.टैक/समकक्ष डिग्री में श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीं की गई है । न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समकक्ष माना जायेगा । यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा तथा 10 के पैमाने में न्यूनतम सीजीपीए 6.75 होगा ।		

(8)

ग्रेड प्वाइंट अंकों का प्रतिशत

6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

टीप-4 : कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के बदले में उपयुक्त शाखा में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ स्वीकार्य होगी।

अनिवार्य (गैर-तकनीकी)

- (1) विज्ञान के लिए एम.एस.-सी. या मानविकी के लिए एम.ए. स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ अच्छा शैक्षणिक इतिहास; या
- (2) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर किसी समकक्ष सी.जी.पी.ए. सहित किसी भारतीय या समकक्ष विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक इतिहास/इन योग्यताओं को पूरा करने के साथ-साथ प्रत्याशी ने यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित प्राध्यापक के लिए नेट या यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत समान परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

नोट-1 : यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा।

नोट-2 : विषय/विधा के लिए सटीक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय सूचित की जाएगी।

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

(11)

(12)

सीधी भर्ती

लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

(13)

(14)

स्थायीकरण के लिये 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार

—अध्यक्ष

2. विभाग में संबंधित प्रधान सचिव/सचिव

—सदस्य

3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।

—सदस्य

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATIONS

Delhi, the 1st July, 2010

No. F. 2(126)/CBPGEC/Admn/2010/1031.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 24/78/ 68-DHS dated 24 September, 1968, the Lt. Governor, Government of N.C.T. of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission is please to make the rules in the schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of (i) Professor (Technical/ Non-Technical), (ii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical), (iii) Lecturer (Technical/Non-Technical) in Ch. Brahm Prakash Government Engineering College, Government of N.C.T of Delhi, Jaffarpur, New Delhi

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of the pay	Whether Selection or Non-selection	Whether benefit of added years of service admissible	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Professor (Technical/ Non-Technical)	05* (2010) *Subject to variation depended on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16400-450-22400	NA	No	Not exceeding 50 years. Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Qualification : (Technical) Ph.D Degree with first class degree in Bachelor's or Master Degree in Appropriate Branch of Engineering/Technology from a recognized university or equivalent.	N.A.	1 years for direct recruits

(8)

- (ii) 10 year experience of Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Assistant Professor or equivalent.

OR

Candidate from Industry and Profession

Candidate from Industry/ Profession with Master's Degree in Engineering/ Technology and with Professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with ten years Industrial/ Professional experience of which at least five year should be at senior level comparable to that of an Assistant Professor, would also be eligible.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at BE/B.Tech/ME/M.Tech/ Equivalent degree, a minimum of 60 % marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

Grade Point	% of marks
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

In the discipline Computer Science and Engineering/Technology, in lieu of the first class degree at Bachelor's and/or Master's level in the appropriate Branch, a first class Master Degree in Computer Science and Engineering/Technology together with a first class Bachelor's Degree in any area of Engineering/Technology will be acceptable.

Essential : (Non-Technical)

I. Good Academic Record with at least 55% marks or any equivalent CGPA at the Master's level and Ph.D degree in appropriate branch of Humanities and Science.

II. 10 year experience of which at least 5 years should be at senior level comparable to that of an Assistant Professor in Post Graduate teaching and/or experience in research at the university/National Level Institution including experience of guiding research at Doctoral level.

Note I : If a grade point system is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks.

Note II : The exact requirement of the subject/discipline will be indicated at the time of each recruitment.

Method of recruitment : Whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
Direct Recruitment	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	
Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation)	
1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi	—Chairman
2. Pr. Secretary/Secretary concerned in the Department	—Member
3. Head of the Department concerned unless He/She is Ex-officio Secretary in the department	—Member
Consultation with Union Public Service Commission necessary while making Direct Recruitment	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Professor (Technical/Non-Technical)	13* (2010) *Subject to variation depends upon on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-420-18300	NA	No	Not exceeding 50 years. Relaxable for Government Servant upto Five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
A. (I) Ph.D Degree with first class degree in Bachelor's Degree or Masters level in the appropriate branch of Engineering/Technology from a recognized university or equivalent.	N.A.	1 year for direct recruits

(8)

- (II) 3 years experience of Teaching/Industry/Research at the level of Lecturer or equivalent.

OR

- B.(I) First Class Degree at Master level in the appropriate branch of Engineering/Technology from a recognized university or equivalent.

- (II) 5 years experience in teaching/industry/research at level of Lecturer or equivalent (such candidates have to obtain Ph.D Degree within a period of 7 years from the date of appointment as Assistant Professor.

OR

- (C) Candidate from Industry/Profession with first class Bachelor's Degree in the appropriate branch of Engineering/Technology or equivalent and with professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with 5 years Industrial/Professional experience would also be eligible.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at BE/B.Tech./ME/M.Tech./Equivalent degree, a minimum of 60% marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

Grade Point	% of marks
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

In the discipline Computer Science and Engineering/Technology, in lieu of the first class degree at Bachelor's and/or Master's level in the appropriate Branch, a first class Master's Degree in Computer Science and Engineering/Technology together with a first class Bachelor's Degree in any area of Engineering/Technology will be acceptable.

Essential : (Non-Technical)

- I. Good Academic Record with at least 55% marks or any equivalent CGPA at the Master's level and Ph. D degree in the relevant subject from a recognized University or equivalent.
- II. Five years experience in the teaching and/or research excluding the period spent for obtaining the degree and have made some mark in the areas of scholarship as evidenced by quality of publications, contribution to educational innovation design of new courses and curricula.

(8)

Note I : If a grade point system is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks.

Note II : The exact requirement of the subject/discipline will be indicated at the time of each recruitment.

(11)	(12)
Direct Recruitment	Not applicable
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi —Chairman 2. Pr. Secretary/Secretary Concerned in the Department —Member 3. Head of the Department concerned unless He/She is Ex-officio Secretary in Department —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Lecturer (Technical/ Non-Technical)	24* (2010) (Technical-20, Non-Technical-4) *Subject to variation dependents on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted and Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	N.A.	No	Not exceeding 50 years. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
(i) First Class Bachelor's Degree/First Class Master's Degree in the appropriate Branch of Engineering/Technology from a recognized university or equivalent. (No minimum experience is required).	N.A.	1 year for direct recruits

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

2528 DG/10-3

(8)

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any state of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at B.E./B.Tech./ME/M.Tech./Equivalent Degree, a minimum of 60% marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class/Division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

Grade Point	% of marks
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

In the discipline Computer Science and Engineering/Technology, in lieu of the first class degree at Bachelor's and/or Master's level in the appropriate Branch, A first class Master's Degree in Computer Science and Engineering/Technology together with a first class Bachelor's Degree in any area of Engineering/Technology will be acceptable.

Essential (Non-Technical)

- I. Good Academic Record with first class M.Sc. level for Science or M.A. level for Humanities.

OR

- II. Good Academic record with at least 55% marks or any equivalent CGPA at the Master's level in the relevant subject from an Indian University or an equivalent Degree from a Foreign University. Besides fulfilling these qualifications, candidates should have cleared the NET for Lecturers conducted by the UGC/CSIR or similar test accredited by the UGC.

Note I : If a grade point system is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks.

Note II : The exact requirement of the subject/discipline will be indicated at the time of each recruitment.

(11)	(12)
Direct Recruitment	Not applicable
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :	
1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi	—Chairman
2. Pr. Secretary/Secretary concerned in the Department	—Member
3. Head of the Department concerned unless He/She is ex-officio Secretary in the Department	—Member
Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.	

फा. सं. 1(131)/जी.बी.प.ई.का./2010/स.शा./1030.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच(एच) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कालेज, दिल्ली सरकार, ओखला, दिल्ली में (1) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी), (2) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी) तथा (3) व्याख्याता (तकनीकी/गैर-तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति तथा शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्नक अनुसूची में नियम बनाते हैं।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद है	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ प्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रोफेसर (तकनीकी/गैर-तकनीकी)	05* (2010) तकनीकी-5 *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अलिपिकीय	16,400-450-22,400 रु.	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी सब-डिवीजन व अंदमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
अनिवार्य (तकनीकी)	लागू नहीं	एक वर्ष सीधी भर्ती वालों के लिये
(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के साथ पीएचडी या समकक्ष;		
(2) अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 5 वर्ष सहायक प्रोफेसर या समकक्ष का अनुभव होना चाहिए, या		
उद्योग व्यवसाय से प्रत्याशी :		
उद्योग/व्यवसाय के प्रत्याशी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री तथा ऐसा व्यवसायिक कार्य जो महत्वपूर्ण हो और जिसे पी.एच.डी. डिग्री के समान माना जा सके तथा दस वर्ष के औद्योगिक/व्यवसायिक		

(8)

अनुभव जिसमें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव वरिष्ठ स्तर पर जो सहायक प्रोफेसर के तुलनीय हो, वाले भी पात्र होंगे।

टिप्पण 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टिप्पण 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टिप्पण 3 : यदि बी.ई./बी.टैक एमई/एमटैक/समकक्ष डिग्री में श्रेणी/डिविजन प्रदान नहीं की गई है। न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविजन के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा तथा 10 के पैमाने में न्यूनतम सीजीपीए 6.75 होगा।

ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

टिप्पण 4 : कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के बदले में उपयुक्त शाखा में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ स्वीकार्य होगी।

अनिवार्य (गैर-तकनीकी)

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष सीजीपीए सहित अच्छा शैक्षणिक इतिहास तथा मानवीकी तथा विज्ञान की समुचित शाखा में पीएचडी डिग्री।
- (2) दस वर्ष का अनुभव जिसमें पांच वर्ष का वरिष्ठ स्तर का ऐसा अनुभव हो जो स्नातकोत्तर अध्यापन में सहायक प्रोफेसर के तुलनीय हो तथा/या विश्वविद्यालय/राष्ट्र स्तर के संस्थान में शोध कार्य का अनुभव जिसमें डॉ. स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन का अनुभव भी शामिल है।

टिप्पण 1 : यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जायेगा।

टिप्पण 2 : विषय/विधा के लिए सटीक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय सूचित की जाएगी।

(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं
(13)	(14)
‘क’ वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) :	
1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष
2. विभाग में प्रधान सचिव/संबंधित सचिव	—सदस्य
3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।	—सदस्य

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/ गैर-तकनीकी)	13* (2010) तकनीकी-11 गैर-तकनीकी-2 *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा	12,000- 18,300 रु.	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की गांगी सब-डिवीजन व अंदमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

(8)	(9)	(10)
अनिवार्य (तकनीकी)	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष
(क)(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की सुसंगत विधा में प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री या प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री सहित पीएचडी डिग्री या समकक्ष		
(2) प्राध्यापक स्तर पर अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव या समकक्ष, या		
(ख)(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में मास्टर स्तर की प्रथम श्रेणी की डिग्री या समकक्ष		
(2) प्राध्यापक स्तर पर अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का पांच वर्ष का अनुभव या समकक्ष (ऐसे प्रत्याशियों को सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति की तिथि से सात वर्ष की अवधि में पी.एच.डी. की डिग्री लेनी होगी)		

या

उद्योग और व्यवसाय से प्रत्याशी :

उद्योग/व्यवसाय के प्रत्याशी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी की डिग्री या समकक्ष तथा ऐसा व्यवसायिक कार्य जो महत्वपूर्ण हो और जिसे पी.एच.डी. डिग्री के समान माना जा सके तथा पांच वर्ष के औद्योगिक/व्यवसायिक अनुभव वाले भी पात्र होंगे।

टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले

(8)

इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

टीप-3 : यदि बोर्ड/बी.टैक एमई/एमटैक/समकक्ष डिग्री में श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीं की गई है। न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा तथा 10 के पैमाने में न्यूनतम सीजीपीए 6.75 होगा।

ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

टीप-4 : कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के बदले में उपयुक्त शाखा में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ स्वीकार्य होगी।

अनिवार्य (गैर-तकनीकी)

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष सी.जी.पी.ए. सहित अच्छा शैक्षणिक इतिहास तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. डिग्री या समकक्ष; या
- (2) अध्यापन/या शोध कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें डिग्री प्राप्त करने के लिये व्यतीत अवधि शामिल नहीं है और प्रकाशन की गुणवत्ता तथा शिक्षण के नये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या संबंधी नवीन अभिकल्पना में योगदान के साक्ष्य के तौर पर छात्रवृत्ति के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया हो।

नोट-1 : यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।

नोट-2 : विषय/विधा के लिए सटीक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय सूचित की जाएगी।

(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं
(13)	(14)
स्थायीकरण के लिये 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/संबंधित सचिव,	—सदस्य
3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. व्याख्याता (लेक्चरर) (तकनीकी/ गैर तकनीकी)	24* (2010) (तकनीकी-20, गैर तकनीकी-4)	'क' वर्ग सामान्य	8,000-13,500 रु.	लागू नहीं	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय।
गैर तकनीकी)	*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।					

(7)

आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी सब-डिवीजन व अंदमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की सुसंगत विधा में प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री/प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री या समकक्ष।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिये एक वर्ष
टीप-1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।		
टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।		
टीप-3 : यदि बोर्ड/बी. टैक/एमई/एमटैक/समकक्ष डिग्री में श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीं की गई है। न्यूनतम 60 प्रतिशत कुल अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समकक्ष माना जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सीजीपीए को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा तथा 10 के पैमाने में न्यूनतम सीजीपीए 6.75 होगा।		
ग्रेड प्वाइंट अंकों का प्रतिशत		
6.25	55	
6.75	60	
7.25	65	
7.75	70	
8.25	75	
टीप-4 : कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विधा में स्नातक तथा/या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी डिग्री के बदले में उपयुक्त शाखा में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ स्वीकार्य होगी।		
अनिवार्य (गैर-तकनीकी)		
(1) विज्ञान के लिए एम.एस.सी. या मानविकी के लिए एम.ए. स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ अच्छा शैक्षणिक इतिहास; या		

(8)

- (2) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर किसी समकक्ष सी.जी.पी.ए. सहित किसी भारतीय या समकक्ष विदेशी विश्वविद्यालय से अच्छा शैक्षणिक इतिहास/इन योग्यताओं को पूरा करने के साथ-साथ प्रत्याशी ने यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित प्राध्यापक के लिए नेट या यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत समान परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पण-1 : यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली अपनाई गई है तो सी.जी.पी.ए. को समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पण-2 : विषय/विधा के लिए सटीक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय सूचित की जाएगी।

(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं
(13)	(14)
स्थायीकरण के लिये 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष	
2. विभाग में संबंधित प्रधान सचिव/सचिव —सदस्य	
3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मधु कृष्ण गर्ग, विशेष सचिव

No. F. 1(131)/Estt/GBPEC/2010/1030.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 24/78/68-DH(S), dated 24th, September 1968, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make the rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of (1) Professor (Technical/Non-Technical), (2) Assistant Professor (Technical/Non-Technical), (3) Lecturer (Technical/Non-Technical) in G.B. Pant Engineering College, Government of N.C.T. of Delhi.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of the pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Professor (Technical/Non-Technical)	05*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16400-450-22400	NA	No	Not exceeding 50 years. Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed

(7)

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

(8)	(9)	(10)
-----	-----	------

Essential : (Technical)

N.A.

1 year for direct recruits.

- (i) Ph.D Degree with first class degree in Bachelor's or Master Degree in Appropriate Branch of Engineering Technology from a recognized university or equivalent.

- (ii) 10 years experience of Teaching/Industry/ Research out of which 5 years must be at the level of Assistant Professor or equivalent.

OR

Candidate from Industry and Profession.

Candidate from Industry/Profession with Master's Degree in Engineering/ Technology and with Professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with ten years Industrial/ Professional experience of which at least five years should be at senior level comparable to that of an Assistant Professor, would also be eligible.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3: If a class/division is not awarded at BE/B.Tech/ME/M.Tech/ Equivalent degree, a minimum of 60 % marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

(8)

Grade Point	% of marks
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

In the discipline Computer Science and Engineering/Technology, in lieu of the first class degree at Bachelor's and/or Master's level in the appropriate Branch, a first class Master Degree in Computer Science and Engineering/Technology together with a first class Bachelor's Degree in any area of Engineering/Technology will be acceptable.

Essential : (Non-Technical)

(I) Good Academic Record with at least 55% marks or any equivalent CGPA at the Master's level and Ph. D degree in appropriate branch of Humanities and Science.

(II) 10 year experience of which at least 5 years should be at senior level comparable to that of an Assistant Professor in Post Graduate teaching and/or experience in research at the University/National Level Institution including experience of guiding research at Doctoral level.

Note I : If a grade point system is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks.

Note II : The exact requirement of the subject/discipline will be indicated at the time of each recruitment.

Method of recruitment : Whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11)

(12)

Direct Recruitment

Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi | —Chairman |
| 2. Pr. Secretary/Secretary Concerned in the Department | —Member |
| 3. Head of the Department concerned unless He/She is ex-officio Secretary in the Department | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Professor (Technical/Non-Technical)	13*(2010) *Subject to variation depends upon on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-420-18300	N.A.	No	Not exceeding 50 years. Relaxable for Government Servants upto Five years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(7)

The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
<p>A. (I) Ph.D Degree with first class degree in Bachelor's Degree or Master's level in appropriate branch of Engineering/Technology from a recognized University or equivalent.</p> <p>(II) 3 years experience of Teaching/Industry/Research at the level of Lecturer or equivalent.</p> <p>OR</p> <p>B. (I) First Class Degree at Master level in the appropriate branch of Engineering/Technology from a recognized University or equivalent.</p> <p>(II) 5 years experience in Teaching/Industry/Research at level of Lecturer or equivalent (such candidates have to obtain Ph.D. Degree within a period of 7 years from the date of appointment as Assistant Professor.</p> <p>OR</p> <p>(C) Candidate from Industry/Profession with first class bachelor's degree in appropriate branch of Engineering/Technology or equivalent and with professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with 5 years Industrial/Professional experience would also be eligible.</p>	N.A.	1 year for direct recruits

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at BE/B.Tech./ME/M.Tech./Equivalent degree, a minimum of 60% marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

(7)

The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
<p>A. (I) Ph.D Degree with first class degree in Bachelor's Degree or Master's level in appropriate branch of Engineering/Technology from a recognized University or equivalent.</p> <p>(II) 3 years experience of Teaching/Industry/Research at the level of Lecturer or equivalent.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B. (I) First Class Degree at Master level in the appropriate branch of Engineering/Technology from a recognized University or equivalent.</p> <p>(II) 5 years experience in Teaching/Industry/Research at level of Lecturer or equivalent (such candidates have to obtain Ph.D. Degree within a period of 7 years from the date of appointment as Assistant Professor.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(C) Candidate from Industry/Profession with first class bachelor's degree in appropriate branch of Engineering/Technology or equivalent and with professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with 5 years Industrial/Professional experience would also be eligible.</p>	N.A.	1 year for direct recruits

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at BE/B.Tech./ME/M.Tech./Equivalent degree, a minimum of 60% marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>

(8)	(9)	(10)
(i) First Class Bachelor's Degree/First Class Master's Degree in the appropriate Branch of Engineering/Technology from a recognized university or equivalent. (No minimum experience is required).	N.A.	One year for direct recruits

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any state of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at B.E/B.Tech./ME/M.Tech./Equivalent Degree, a minimum of 60 % marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class Division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

Grade Point % of marks

6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

In the discipline Computer Science and Engineering/Technology, in lieu of the first class Degree at Bachelor's and/or Master's level in the appropriate Branch, A first class Master's Degree in Computer Science and Engineering/Technology together with a first class Bachelor's Degree in any area of Engineering/Technology will be acceptable.

Essential (Non-Technical)

- I. Good Academic Record with first class M.Sc. level for Science or M.A. level for Humanities.

OR

- II. Good Academic record with at least 55 % marks or any equivalent CGPA at the Master's level in the relevant subject from an Indian University or an equivalent Degree from a foreign university. Besides

(12)

fulfilling these qualifications, candidates should have cleared the NET for Lecturers conducted by the UGC/CSIR or similar test accredited by the UGC.

Note I : If a grade' point system is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks.

Note II : The exact requirement of the subject/discipline will be indicated at the time of each recruitment.

(11)	(12)	(13)	(14)
Direct Recruitment	Not applicable		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation):			Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment
1. Chief Secretary, Govt. of Delhi	—Chairman		
2. Pr. Secretary/Secretary concerned in the Department	—Member		
3. Head of the Department concerned unless He/She is ex-officio Secretary in the Department	—Member		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MADHU K. GARG, Spl. Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2010

फा. सं. 1(7)/यू.डी./डी.यू.एस.आई.बी./2010/9736-47.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम, 07) की धारा 1 की उप-धारा (3) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली उक्त अधिनियम को लागू किये जाने के लिए वर्ष 2010 की जुलाई माह की प्रथम तिथि निश्चित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st July, 2010

No. F. 1(7)/UD/DUSIB/2010/9736-47.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of July, 2010 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

B. V. SELVARAJ, Principal Secy.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
(i) First Class Bachelor's Degree/First Class Master's Degree in the appropriate Branch of Engineering/Technology from a recognized university or equivalent. (No minimum experience is required).	N.A.	One year for direct recruits

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any state of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Note 3 : If a class/division is not awarded at B.E/B.Tech./ME/M.Tech./Equivalent Degree, a minimum of 60 % marks in the aggregate shall be considered equivalent to first class Division. If a grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks and minimum CGPA shall be 6.75 in the scale of 10.

Grade Point	% of marks
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

In the discipline Computer Science and Engineering/Technology, in lieu of the first class Degree at Bachelor's and/or Master's level in the appropriate Branch, A first class Master's Degree in Computer Science and Engineering/Technology together with a first class Bachelor's Degree in any area of Engineering/Technology will be acceptable.

Essential (Non-Technical)

- I. Good Academic Record with first class M.Sc. level for Science or M.A. level for Humanities.

OR

- II. Good Academic record with at least 55 % marks or any equivalent CGPA at the Master's level in the relevant subject from an Indian University or an equivalent Degree from a foreign university. Besides